यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-02 राज्य कर, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-02 राज्य कर, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री अंशुमान अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं आशीष पाण्डेय व.ले.प. द्वारा दिनांक 31.08.2020 से 05.09.2020 तक श्री हिमांशु मणि, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री गोविंद कुमार सिंह एवं श्री अरविंद कुमार उपाध्याय सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 07.08.2020 से 19.08.2020 तक श्री राज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	**अर्जित राजस्व (₹ लाख मे)**
2017-18	1284.64
2018-19	1183.78
2019-20	1931.13

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**Plan**		**Non plan**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई "A" श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त **>** आयुक्त कर, वाणिज्य कर**>** ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर**>** वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-02 राज्य कर, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-02 राज्य कर, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: ------- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ------- (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर – 1 फार्म सी का दो बार लाभ लेने के कारण कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण र 29.58 लाख

प्रस्तर:- 2 कम कर जमा कराये जाने के कारण राजस्व क्षति र 5.10 लाख।

भाग-II (ब)

प्रस्तर:- 1 देय कर के विलंब से जमा किए जाने पर अर्थदण्ड ₹ 34.32 लाख का अनारोपण।

प्रस्तर:- 2 वर्ष के दौरान 25.00 करोड़ से अधिक प्लांट एण्ड मशीनरी में पूंजी निवेश के परिणाम स्वरूप भी निर्माण पर फार्म सी से बिक्री पर 1 प्रतिशत से कर आरोपित करने के कारण राजस्व हानि र 22.76 लाख।

प्रस्तर:-3 Form-C के अभाव मे अनियमित दर से करारोपणकिए जाने के फलस्वरूप ₹ 33,36,886/- कर का न्यूनारोपण।

प्रस्तर - 4 कर का अनरोपण ₹ 0.12 लाख।

प्रस्तर–: 5 कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 1.48 लाख।

प्रस्तर- 6 त्रुटि को धारा 30 के अंतर्गत संशोधित न किया जाना।

प्रस्तर- 7 कर का न्यूनारोपण र 2.07 लाख

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग दो अ

प्रस्तर – 1 फार्म सी का दो बार लाभ लेने के कारण कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण र 29.58 लाख

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के धारा 8(4) के उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम मे किसी बिक्री पर तब तक लागू नही होगे, जब तक कि माल का विक्रय करने वाला व्यौहारी उस रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा, जिसे माल बेचा गया है, विहित प्राधिकारी से अभिप्राप्त विहित प्रारुप मे सम्यक रुप से भरी हुई और हस्ताक्षरित-घोषणा, जिसमे विहित विवरण अन्तर्विष्ट हो, विहित प्राधिकारी को विहित रीति से न दे दें।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-58 (1) (xxix) के अंतर्गत किसी व्यापारी द्वारा गलत फार्म (घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र) जारी करना या उपलब्ध कराये जाने पर माल के मूल्य के कर का तीन गुना या माल के मूल्य का 40% अर्थदण्ड लगाए जाने का प्रावधान है।

कार्यालय उपायुक्त (क0 नि0)-2, राज्य कर हरबर्टपुर विकासनगर के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्व श्री प्रोफाउंड टेक्नोलोजी सेलाकुई, विकासनगर टिन सं 05007883409 कर निर्धारण वर्ष 2015-16 मे केंद्रीय बिक्री र 3,71,24,000 की घोषित किया गया है। जिसके संबंध मे 35 फार्म सी से 1 प्रतिशत की दर से किया जाना घोषित किया गया है। व्यापारी द्वारा उपलब्ध कराये गए फार्म सी की जांच मे पाया गया की निम्नलिखित फार्म जिसकी कलर फोटोप्रति संलग्न की गयी है, का लाभ दो बार लिया गया है।

क्र0 सं०	फार्म संख्या	पार्टी का नाम	धनराशि(र मे)
01	001135854	Swastik Tredars	2424000
02	001135866	Swastik Tredars	808000
03	000936714	Aroras J K Naturals Marbles	2070500
04	000936708	Aroras J K Naturals Marbles	277750
योग			5580250

उपरोक्त विवरण के अनुसार ₹ 55,80,250 की बिक्री पर पूर्ण दर से कर आरोपित किया जाना है। व्यापारी द्वारा डायमंड कटिंग प्लास्टिक वायर की बिक्री की गयी है जो किसी भी अनुसूची मे शामिल नहीं है। अतः अंतरीय कर 12.5 (13.5 प्रतिशत – 1 प्रतिशत) की दर कर र 6,97,531 (55,80,250 x 12.5 प्रतिशत) व्यापारी पर और आरोपणीय था एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था। फार्म-सी का गलत उपयोग किए जाने उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58 (1) (xxix) के प्रावधान के अंतर्गत माल के मूल्य के कर का तीन गुना 40.5 प्रतिशत (13.5 प्रतिशत x 3 गुना) र 22,60,001(5580250x40.5 प्रतिशत) का अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा पत्रावली कि जांच करके कृत कार्यवाही से सम्प्रेक्षा को अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर:- 1 देय कर के विलंब से जमा किए जाने पर अर्थदण्ड ₹ 34.32 लाख का अनारोपण।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम-11 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त ` 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ₹ 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह अर्थदण्ड के रूप में देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा **(दिनांक 31.03.2015 से पूर्व)**,यदि विलंब 01 माह तक हो तो देय कर का 5% का दायी होगा।**(दिनांक 31.03.2015 से)**; यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रु0 20 हज़ार रूपए तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रु0 20 हज़ार रूपए से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा **(दिनांक 31.03.2015 से)।**

कार्यालय उपायुक्त(कर निर्धारण)-02, राज्य कर, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि तीन व्यापारियो द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की राशि ₹ 1,98,52,206/- को विलंब से जमा किया गया था| अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियामानुसार न्यूनतम ₹ 34,32,072/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया था **(संलग्नक)**।

इस विषय में इंगित किए जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया कि पत्रावली की जांच कर अवगत कराया जाएगा।

अतः देय कर के विलंब से जमा किए जाने पर अर्थदण्ड ₹ 34,32,072/- के अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्रम सं.	व्यापारी का नाम	TIN संख्या	कर निर्धारण वर्ष	कर अवधि	कर जमा करने की अंतिम तिथि	देय कर जमा करने की तिथि	कर की राशि	अर्थदण्ड की दर (%)	अर्थदण्ड की राशि
1.	सर्वश्री ग्लोबस इन्फ़ोकोम	05007843445	2015-16	05/2015	20.06.2015	25.06.2015	27000	5	1350
				05/2015	20.06.2015	25.06.2015	72210	5	3611
				Q1(अप्रैल -जून)	20.07.2015	25.07.2015	64530	5	3227
				07/2015	20.08.2015	24.09.2015	90064	5	4503
				08/2015	20.09.2015	24.09.2015	32340	5	1617
				09/2015	20.10.2015	23.10.2015	51006	5	2550
				10/2015	20.11.2015	25.11.2015	66340	5	3317
				11/2015	20.12.2015	25.12.2015	204212	5	10211
				12/2015	20.01.2015	25.01.2015	278645	5	13932
				03/2016	20.04.2016	31.05.2016	2100000	20	420000
				03/2016	20.04.2016	31.05.2016	2900000	20	580000
				03/2016	20.04.2016	31.05.2016	854460	20	170892
				03/2016	20.04.2016	22.06.2016	9203490	20	1840698
2.	सर्वश्री गुरुनानक कृषि केंद्र	05008223103	2015-16	05/2015	20.06.2015	16.10.2015	220439	20	44088
				Q1(अप्रैल से जून)	20.07.2015	15.10.2015	184575	20	36915
				Q2(जुलाई से सितम्बर)	20.10.2015	19.11.2015	127477	5	6374
3.	सर्वश्री माँ दुर्गा मिनरल	05005230847	2015-16	05/2015	20.06.2015	02.08.2015	444650	5	22233
				06/2015	20.07.2015	24.08.2015	800103	20	160021
				09/2015	20.10.2015	28.10.2015	979881	5	48994
				11/2015	20.12.2015	25.12.2015	528350	5	26418
				02/2016	20.03.2016	06.04.2016	622434	5	31121
	योग						**₹19852206/**		**₹34,32,072/**

भाग - दो अ

प्रस्तरः- 2 कम कर जमा कराये जाने के कारण राजस्व क्षति र 5.10 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा।

कार्यालय के अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री संगम ईलेक्ट्रिक एण्ड हार्डवेयर स्टोर, मैन रोड़ सेलकुई द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 मे र 4,59,93,841 की प्रांतीय बिक्री स्वीकार की गयी थी। जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹37,44,656 का कर आरोपित किया गया था। व्यापारी द्वारा चालान के माध्यम से र 1,94,050 कर जमा किया गया था तथा व्यापारी को वर्ष के दौरान प्रांतीय खरीद पर ₹ 30,22,075 का ITC का लाभ अनुमन्य किया गया था। अतः व्यापारी को कुल लाभ ₹ 32,16,125 (194050 +3022075) देय था। इस प्रकार व्यापारी को शेष कर ₹5,28,531 (3744656-3216125) जमा किया जाना था। परंतु व्यापारी को ₹ 234906 कर ब्याज सहित जमा कराने हेतु आदेशित किया गया था। अतः इस प्रकार व्यापारी द्वारा ₹ 293625 (528531-234906) कर जमा कराया जाना शेष है। चूंकि यह व्यापारी का स्वीकृत कर इस पर दिनांक 01.10.2015 से कर जमा करने के दिनांक तक ब्याज भी देय है लेखापरीक्षा माह तक 1.25% की दर से ₹ 216548/- ब्याज होता है।

अतः कर ₹293625 एव ब्याज र 216548 न जमा कराये जाने के कारण कुल ₹ 510173 की राजस्व क्षति हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने त्रुटि मानते हुए धारा 30 के अन्तर्गत कार्यवाही कर अवगत करने का आश्वाशन दिया है। जिसकी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

भाग - दो ब

प्रस्तर:- 2 वर्ष के दौरान 25.00 करोड़ से अधिक प्लांट एण्ड मशीनरी में पूंजी निवेश के परिणाम स्वरूप भी निर्माण पर फार्म सी से बिक्री पर 1 प्रतिशत से कर आरोपित करने के कारण राजस्व हानि र 22.76 लाख।

उत्तराखंड शासन के वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 98/2015/181(120)/XXVII(8)/08 देहरादून दिनांक 20 जनवरी 2015 द्वारा समय समय पर निर्माता इकाई द्वारा फार्म सी में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 1% की दर से कर देय हेतु जारी अधिसूचनाओ में संसोधन करते हुए उक्त अधिसूचना द्वारा किसी औद्योगिक निर्माता इकाई द्वारा जिसका मुख्य व्यापार स्थल उत्तराखंड में हो,द्वारा ऐसे मुख्य व्यापार स्थल से अन्तर्राजीय व्यापार एव वाणिज्य के दौरान किसी माल,जिस पर उक्त धारा की उपधारा (1) लागू होती हो की बिक्री करने पर उक्त धारा की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन तथा फार्म - सी में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 1% (एक प्रतिशत) की दर से कर देय होगा।

शर्त यह है कि ऐसी बिक्री ऐसी निर्माता औद्योगिक इकाई द्वारा की गयी हो जिसका कि मशीन एव संयंत्र में कुल पूंजी निवेश रूपय पच्चीस करोड़ या उससे कम हो तथा पूंजी निवेश के ऐसे दावे के समर्थन में,अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी अकाउंटेंट द्वारा audited balance sheet तथा कर निर्धारण प्राधिकारी की अपेक्षा के अनुसार अन्य संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत कर दिये गए हो।

कार्यालय के अभिलेखो के नमूना लेखपरीक्षा जांच में पाया गया कि EN Craft India Pvt. Ltd. द्वारा वर्ष 2015-16 में पी॰वी॰सी॰ डोर,विंडो प्रोफ़ाइल आदि का निर्माण कर बिक्री का कार्य किया गया है। वर्ष के दौरान फर्म द्वारा chartered accountant द्वारा प्रस्तुत certificate के अनुसार फर्म की plant and machinery का मूल्य ₹ 254292566 था जो ₹ 25.00 करोड़ से अधिक है। वर्ष के दौरान व्यापारी द्वारा निर्माण कर पी॰वी॰सी॰ डोर,विंडो प्रोफ़ाइल आदि की फार्म सी के विरुद्द ₹ 227657534 की बिक्री कर 1% की दर से ₹ 2276575 कर अदा किया गया है। जबकि उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार निर्माण इकाइयों जिनकी plant & machinery ₹ 25.00 करोड़ से कम है को ही फार्म सी के समर्थन में 1% की दर से कर देयता मान्य है। चूंकि EN Craft India Pvt. Ltd की plant & machinery ₹ 25.00 करोड़ से अधिक है अतः वर्ष 2015-16 में फार्म सी के विरुद्द की गयी ₹ 22765534 की बिक्री पर 1%(2-1) से ₹ 2276575 का कर और आरोपणीय है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि भारत

सरकार के ministry of small scale industries के notification 1192 दिनांक 06 अक्टूबर 2006 द्वारा plant & machinery की गणना करते समय dies & moulds etc. आदि को अपवर्जित किया जाएगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ministry of small scale industries के अंतर्गत वो ही industries आती है जिनका पूंजी निवेश प्लांट एण्ड मशीनरी में र 10 करोड़ से कम हो। तथा इसके अतिरिक्त उत्तराखंड शासन की अधिसूचना में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी फर्म के plant & machinery में पूँजी निवेश के दावे हेतु अकाउंटेंट द्वारा audited balance sheet में प्लांट एण्ड मशीनरी के पूंजी निवेश के संदर्भ में दिया गया प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

अतः वर्ष के दौरान 25.00 करोड़ से अधिक प्लांट एण्ड मशीनरी में पूंजी निवेश के परिणाम स्वरूप भी निर्माण पर फार्म सी से बिक्री पर 1 प्रतिशत से कर आरोपित करने के कारण राजस्व हानि र 22.76 लाख का **प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।**

भाग -2 'ब'

प्रस्तर:- 3 Form-C के अभाव मे अनियमित दर से करारोपणकिए जाने के फलस्वरूप ₹ 33,36,886/- कर का न्यूनारोपण।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8(1) के अनुसार हर ब्योहारी जो अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम मे उपधारा (3) मे विनिर्दिष्ट वर्णन का माल किसी रजिस्ट्रीकृत ब्योहारी को बेचेगा, इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार होगा, जो उसके आवर्त का 02 प्रतिशत अथवा समुचित राज्य के भीतर उस राज्य की विक्रय कर विधि के अधीन ऐसे माल के विक्रय या क्रय की उस लागू दर पर,जो भी कम हो होगा।

इसके अलावा कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखंड के पत्रांक 4866/आयु. कर उत्तरा./वाणिज्य कर/विधि अनुभाग/पत्रांक 05/14-15/देहरादून के दिनांक 22 जनवरी 2015 के अनुसार 'किसी औद्योगिक निर्माता इकाई जिसका मुख्य व्यापार स्थल उत्तराखंड मे हो, द्वारा ऐसे मुख्य व्यापार स्थल से अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान किसी माल, जिस पर उक्त धारा की उपधारा (1) लागू होती हो, की बिक्री करने पर उक्त धारा की उपधारा (1) के अंतर्गतफार्म-**C** मे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 1% की दर से कर देय होगा ।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-02, राज्य कर, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि सर्वश्री ग्लोबलइन्फोकोम लिमिटेड, सेलाकुई TIN संख्या 05007243445 केकर निर्धारण वर्ष 2015-16 की पत्रावलीमेकर निर्धारण आदेश के अनुसार ब्योहारी द्वारा ₹ 11,46,47,181/- की धनराशि के 105 **फार्म-C** की मूल प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं, जिस पर उपर्युक्त नियमानुसार 1% कर आरोपित किया गया है, परंतु संबन्धित पत्रावली की जांच मे₹ 8,79,52,096/- (₹ 72,71,639/ + ₹ 8,06,80,457/-) राशि के सिर्फ 84 **फार्म-C** की सूची एवं प्रतियाँ ही प्राप्त हुयी। शेष ₹ 2,66,95,085/ राशि के 21 फार्म- C न तो संबन्धित पत्रावलीमे संलग्न थे और न ही कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जा सके।

उक्त को इंगित किए जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि शेष फार्म उपलब्ध कराये जाएंगे।

अतः अनुपलब्ध ₹ 2,66,95,085/- मूल्य के 21 फार्मो के अभाव मे अंतरीय दर (13.51)12.5% से ₹ 33,36,886/- कर आरोपणीय है प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर - 4 कर का अनरोपण ₹ 0.12 लाख।

पत्रांक 4059/ आयु0क0उत्तरा0/ वाणि0कर/विधि अनुभाग/2007-08/ देहरादून कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखण्ड (विधि अनुभाग) देहरादून दिनांक 29 फरवरी 2008 के अनुसार यदि किसी व्यापारी के द्वारा बिक्री के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से या अन्तरण किया जाता है, तो अन्तरण के प्रमाण के लिये फार्म एफ का प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कार्यालय उपयुक्त (क0नि0)-2, राज्य कर, हरबर्टपुर, विकासनगर के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री एस एस एफ पैकेजिंग, सेलाकुई देहरादून टिन सं 05008749231 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 मे कुल खरीद ₹ 12,79,71,139 एवं बिक्री ₹ 16,98,35,935 कि घोषित किया गया था। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष मे ₹ 2,40,35,184 का जाब वर्क किया गया था। जिसमें ₹ 239782/- का माल प्राप्त बाहर मेरिको लि. C/o Paramount polish processors Pvt. Ltd. Baddi को प्रेषित किया गया जिसके संबंध मे व्यापारी द्वारा फार्म एफ संलग्न नहीं किया था। अतः उक्त फार्म-एफ के अभाव मे ₹ 239782/- को बिक्री मानते हुये 5 प्रतिशत की दर से कर ₹ 119891 (₹ 239782 x 5 प्रतिशत) व्यापारी पर आरोपणीय था एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था।

उक्त को इंगित किए जाने विभाग द्वारा कि फर्म सर्वश्री एस एस पैकेजिंग सेलाकुई द्वारा सर्वश्री मेरिकों लि0 सेलाकुई के लिए जाब वर्क किया जाता है। साक्ष्य स्वरूप एग्रीमेंट की छायाप्रति, लेजर एकाउंट एवं बिलों की छायाप्रतिया प्रस्तुत की जा रही है। समस्त संव्यहार सर्वश्री मेरिकों लि के लिए किए गए है जो उत्तराखंड मे पंजीकृत है। उत्तर मान्य नही है, क्योंकि चार बिलों से कुल ₹ 239782/- का माल प्राप्त बाहर Baddi प्रेषित किया गया था।

अतः प्रपत्र एक के अभाव में ₹ 11989/- के कर का अनारोपण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर–: 5 कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 1.48 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4(7)(a) के अनुसार, 'धारा 3 और/या इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई कराधेय माल किसी ब्यौहारी द्वारा किसी अन्य ब्यौहारी को बेच दिया जाय और ऐसा अन्य ब्यौहारी विक्रेता ब्यौहारी को नियत प्रपत्र में और रीति से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उसके पास उसके संबंध में खण्ड (ख) के अधीन जारी किया गया मान्यता प्रमाण पत्र है, तो विक्रेता ब्यौहारी ऐसे माल के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई शर्तों और निर्बंधनों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, के अधीन रहते हुए केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8, उपधारा (1) में वर्णित दर से (अर्थात 2 प्रतिशत) कर का देनदार होगा।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अनुसार, "जो व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए नियमों के किसी उपबंध के अधीन विहित कोई ऐसा मिथ्या या गलत प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र किसी अन्य व्यक्ति को जारी करे, जिसके कारण ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ या उसके द्वारा किए गए क्रय या विक्रय के संव्यवहार पर इस अधिनियम के अधीन कोई कर आरोपणीय नहीं रह जाता है या रियायती दर पर आरोपणीय हो जाता है, तो वह ऐसे संव्यवहार पर ऐसी धनराशि का दायी होगा जो ऐसे संव्यवहार पर देय होती, यदि ऐसा प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र जारी न किया गया होता"।

स्पष्टीकरण: यदि प्रमाणपत्र या घोषणापत्र जारी करने वाला व्यक्ति उसमे अपना यह अभिप्राय प्रकट करे कि वह अपने द्वारा क्रय किए माल का उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिए करेगा जिससे कोई कर देय न होगा या रियायती दर पर देय होगा, किन्तु उसका उपयोग ऐसे प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए करे, तो प्रमाणपत्र या घोषणा पत्र को इस धारा के प्रयोजन के लिए गलत समझा जाएगा।

पुनः धारा 58 (1) (xxix) के अनुसार, अधिनियम के अधीन कोई गलत घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर माल के मूल्य का 40% अथवा देय कर का 3 गुना तक, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड देय होगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-2, राज्य कर, हरबर्टपुर, विकासनगर के अभिलेखों की 04/2018 से 03/2019 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि सर्वश्री फ्लेयर पेन्स एंड स्टेशनरी इंडस्ट्रीज़ (टिन: 05008872712**)** का व्यापार राइटिंग पेन, पेंसिल, हाईलाइटर, करेक्शन पेन के निर्माण एवं खरीद बिक्री का है। व्यापारी के गोपनीय पत्रावली पर उपलब्ध मान्यता प्रमाण पत्र के अवलोकन में यह तथ्य प्रकाश में आया कि व्यापारी करेक्शन पेन, रीफिल, ग्रीस, ग्रीस टैंक,लैडर फ्रेम, अल्मीरा आदि की खरीद प्रपत्र 11 जारी करके रियायती दर पर प्रांत के अंदर से खरीद के लिए अधिकृत नहीं था। जिसका विवरण निमन्वत है।

क्र0सं0	**वस्तु का नाम**	**धनराशि**	**अंतरीय कर (धारा 63 के अंतर्गत)**	**पेनाल्टी धारा 58(1)(xxix)**
01	ग्रीस टैंक	12000	11.5 प्रतिशत (13.5-2) 1380	4860
02	लैडर, फ्रेम अल्मीरा,	273100	11.5 प्रतिशत (13.5-2)	110605

	रैक		31407	
योग			32787	115465

व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2015-16 मे 32 प्रपत्र 11 का विवरण पूर्व कर निर्धारण वर्षो के जारी करके प्रांत के अंदर से कुल फिनिश्ड गुडस खरीदा गया था एवं मान्यता प्रमाणपत्र से आच्छादित नहीं थी। इसलिए वह इन वस्तुओं की प्रांत के अंदर से रियायती दर पर खरीद के लिए अधिकृत नहीं था। व्यापारी के इस कृत्य हेतु उपरोक्त वर्णित धारा 63 के अंतर्गत अंतरीय दर ₹ 32787, एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है। इसी प्रकार, धारा 58(1)(xxix) के अंतर्गत अर्थदण्ड ₹ 1,15,465 तक भी देय था । उक्त के अतिरिक्त पत्रवाली पर 2 फार्म -11 का विवरण संलग्न नहीं था ।

उक्त के अतिरिक्त संख्या 0523672, 0291450, 0291452 एवं 0291453 पर विक्रेता व्यापारी का नाम एवं धनराशि का अंकन नहीं किया गया है।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि फार्म द्वारा रा मैटेरियल, प्लांट एवं मशीनरी एवं पैकिंग मैटेरियल के लिए मान्यता प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त से संबन्धित खरीद हेतु रियायती दर से अनुमन्यता प्रदान की गयी है। आपत्ति मे दर्ज ग्रीस टैंक, लैडर , फ्रेम, अल्मीरा प्लांट मशीनरी एवं रॉ मै टीरियल से संबन्धित है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि करेक्शन पेन निर्मित वस्तु है एवं ग्रीस टैंक, लैडर , फ्रेम, अल्मीरा आदि मान्यता प्रमाण पत्र मे अंकित नहीं है। 2 फार्म -11 का विवरण एवं बिन्दु संख्या 02 की आख्या प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर- 6 त्रुटि को धारा 30 के अंतर्गत संशोधित न किया जाना।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गयें प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा

कार्यालय उपायुक्त (क0नि)-02, राज्य कर, हरबर्टपुर, विकासनगर के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री फ्लेयर पेन्स एंड स्टेशनरी इण्ड0 सेलाकुई देहरादून टिन सं 05008872712 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 मे कुल खरीद ₹ 53,90,27,697 एवं बिक्री ₹ 84,60,30,749 की घोषित किया गया था। इस बिक्री मे प्रांतीय बिक्री ₹ 1,96,25,290 की घोषित की गयी थी।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि व्यापारी द्वारा अपनी 5 % की दर से प्रांतीय बिक्री ₹ 94,96,060 की घोषित की है। उक्त राशि ₹ 84,917 के सेल रिटर्न एवं ₹ 1,02,000 के क्रेडिट नोट के समायोजन के उपरांत घोषित की गयी है। इस प्रकार ₹ (96,82,977 – 84917 -102000) की बिक्री घोषित की है जिस पर 5 प्रतिशत की दर करदेयता स्वीकार की गयी है।

कर निर्धारण आदेश मे ₹ 96,82877 मे से 84,917 की सेल रिटर्न एवं ₹ 102000/- क्रेडिट नोट घटाते हुये ₹ 94,96,060 की शुद्ध बिक्री बनती है का उल्लेख किया गया है किन्तु कर आरोपित करते समय "आयातित माल वापसी को अस्वीकार करते हुये उक्त की निर्धारित प्रांतीय बिक्री पर" कर आरोपित किया गया है, जिसे धारा 30 के अंतर्गत संशोधनीय है। इस कर निर्धारण आदेश के आधार पर व्यापरी द्वारा Imported goods rejection पर 0% की दर से कर देयाता हतु अपील दायर की है। इकाई द्वारा अपने उत्तर मे स्वयं स्वीकार किया गया है कि ₹ 94,96,060 की प्रांतीय बिक्री है।

अतः धारा 30 के अंतर्गत संशोधन न किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर- 7 कर का न्यूनारोपण र 2.07 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा- 4(2) ख)(i) (ई) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूची मे सम्मिलित माल से भिन्न माल के संबंध मे 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा।

कार्यालय उपायुक्त (क0नि0)-2 राज्य कर हरबर्टपुर विकासनगर के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्व श्री सेफ मार्किंग एण्ड रिफलेक्टिव टेक्नोलाजी इण्ड0 एरिया कैप रोड सेलाकुई देहरादून टिन सं0 05008292361 कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के द्वारा लोहे के बोर्ड की बिक्री र 23,00,954/- की घोषित किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त बिन्दु पर 4.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। जबकि लोहे का बोर्ड फैब्रिकेट करके बनाया जाता है एवं व्यापारी निर्माता है। फैब्रिकेटेड लोहे का बोर्ड किसी भी अनुसूची मे न होने के कारण इस पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था। अतः र 23,00,954 पर अंतरीय कर 9 प्रतिशत (13.5 प्रतिशत – 4.5 प्रतिशत) की दर से र 2,07,086 (र 23,00,954 x 9 प्रतिशत) और आरोपणीय था एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था।

उक्त को इंगित किए जाने विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखंड वैट अधिनियम 2005 की Schedule II (B) के क्रमांक 40 पर स्पष्ट अंकित है कि "Declared goods as specified in Section 14 of the Central Sales Act 1956, except coarse grain and pulses." की कर की दर 5 % होगी। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के Section 14 के (IV) के भाग (ii)/(iii)/(iv)/(v)/(vi) मे यह स्पष्ट है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि यदि कोई वस्तु फैब्रिकेट करके बनाई जाती है तो वह वस्तु केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के Section 14 से कवर नहीं होगी। व्यापारी एक निर्माता है और उसके द्वारा एमएस पाइप, रिफ़्लेक्टिंग शीट आदि कर क्रय करके लोहे का बोर्ड फैब्रिकेट करके बनाया गया था। एवं केन्द्रीय बिक्री में स्वनिर्मित होने के कारण 1% की दर से कर देयता निर्धारित की गयी है। जिससे यह ज्ञात होता है वस्तु का फैब्रिकेट किया गया था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-III 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-III 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
RA/CT-117/2017-18	-	01,02,03	
RA/CT-43/2018-19	-	01,02	
RA/CT-54/2019-20	01,02,03,04	01,02	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-02 राज्य कर, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम		पदनाम
(i)	श्री प्रमोद कुमार जोशी	उपायुक्त	उपायुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV